



माननीय न्यायालय राजस्व मंडल बोर्ड ग्वालियर कैंप, उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रं. 2018/निगरानी - 6552/2018/उज्जैन/भू-212

प्रार्थी अभिभाषक श्रीमती सुमन शर्मा
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 20/12/18
20.12.18
सहायक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

1. जितेन्द्र पिता आनंदीलाल, निवासी-ग्राम
पांसलौद तहसील नागदा जिला उज्जैन म.प्र.

2. राजकुमार पिता आनंदीलाल, निवासी-ग्राम
पांसलौद तहसील नागदा जिला उज्जैन म.प्र.

.....पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

आनंदीबाई पति मनोहरलाल जायसवाल,

निवासी-ग्राम पांसलौद तहसील नागदा जिला

उज्जैन म.प्र.

.....प्रतिप्रार्थीगण

पुनरीक्षण पत्र अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत निगरानीकर्ता
की और से निगरानी आवेदन पत्र आदेश अधीनस्थ माननीय न्यायालय अपर
आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा प्रकरण क्रं. 499/अपील/2017-18 में
पारित आदेश दिनांक 27/10/2018 के विरुद्ध निगरानी अंदर अवधि में
प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की और से निम्नानुसार निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है:-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

यह कि, पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर तहसीलदार महोदय, टप्पा उन्हेल जिला उज्जैन के समक्ष ग्राम पांसलौद में स्थित भूमि सर्वे क्रं.293 रकबा 0.40 हे. की कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों में रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 28/11/2015 दस्तावेज क्रं. ए-1180126 पंजीयन दिनांक 30/11/2015 के आधार पर उसके राजस्व अभिलेखों में अपना नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जो प्रकरण क्रं. 50/अ-6/2015-16 पर दर्ज हुआ उक्त प्रकरण में अधीनस्थ

628
20/12/18



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

20

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-6552/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01/08/2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 27.10.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">(महेश/चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	